

कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

पत्रांक 10137 / पटना, दिनांक 22.11.18

01/नि. बजट-स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-08/2017

प्रेषक,

रचना पाटिल, भा.प्र.से.

निबंधक,

सहयोग समितियाँ,

बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ,
सभी प्रमण्डलीय संयुक्त निबंधक, (अंके.) सहयोग समितियाँ,
सभी उप मुख्य अंकेक्षक, सहयोग समितियाँ,
सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी,
सभी जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ,
सभी सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ (मुख्यालय सहित)
प्राचार्य, सहकारिता प्रशिक्षण केन्द्र, पूसा, (समस्तीपुर)।
सचिव, सहकारिता अधिकरण, सहयोग समितियाँ, पटना

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2425 सहकारिता के अधीन बचत राशि के अंतरिम प्रत्यर्पण करने के संबंध में।

प्रसंग- वित्त विभाग के पत्रांक 748 दिनांक 10.10.2018।


महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए कहना है कि प्राप्त पत्र के माध्यम से वित्त विभाग द्वारा सभी विभागों को सम्भावित बचत राशि को दिनांक 30.11.2018 तक प्रत्यर्पण का प्रस्ताव पेषित करने का निदेश दिया गया है।

अतः उपरोक्त आलोक में आप सभी को निदेश दिया जाता है कि आप अपने कार्यालय में कार्यरत सभी कर्मचारियों को बकाया वेतनादि के साथ अन्य मद यथा कार्यालय व्यय, यात्रा व्यय, वर्दी व्यय आदि की राशि की निकासी भी दिनांक 23.11.2018 तक निश्चित रूप से कर लें। साथ ही आपको यह भी निदेश दिया जाता है कि आप अपने स्थापना अन्तर्गत वेतनादि मद में व्यय हेतु आवंटित की गई राशि में बचत राशि (यदि होने की सम्भावना हो) का अन्तरिम प्रत्यर्पण दिनांक 26.11.2018 तक मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इस बात का ध्यान रखा जाए कि अन्तरिम प्रत्यर्पण की सूचना संबंधित कोषांगार/उप कोषांगार को देते हुए कोषांगार के कम्प्यूटर प्रविष्टि से भी अवश्य घटवा दी जाए तथा तदनुसार कोषांगार एवं अपने कार्यालय में पोषित आवंटन पंजी को भी उक्त हद तक संशोधित कर लिया जाए। यदि किसी मद में राशि की आवश्यकता हो तो माँग पत्र भी दिनांक 23.11.2018 तक अवश्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इसे अतिआवश्यक समझा जाय।

यदि अंतिम प्रत्यर्पण के समय आपके द्वारा अधिक अवशेष राशि का प्रत्यर्पण किया जाता है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी आपकी होगी और इसे वित्तीय अनुशासनहीनता मानते हुए नियमानुसार आपके विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी।

विश्वासभाजन


(रचना पाटिल)

निबंधक

सहयोग समितियाँ,
बिहार, पटना।

(2)